राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5734/2022

संजना कुमारी (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएजे201601025082)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.11.2022
आदेश की दिनांक : 28.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सत्यपाल सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी नर्स ग्रेड–। के पद पर पीएचसी Tyonda, खेतड़ी, झुंझुनू में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय पिपाड सिटी, जोधपुर किया गया है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया अधिशेष नहीं है, क्योंकि अपीलार्थीया की नियुक्ति रिक्त पद पर हुई थी और अपीलार्थीया के स्थान पर किसी ओर को समायोजित करने के लिए अपीलार्थीया को अधिशेष दर्शाया गया है, जो गलत है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थीया का स्थानांतरण 1 वर्ष की अल्पावधि में ही किया गया है। उनका आगे यह भी तर्क है कि यह स्थानांतरण आदेश पंचायतीराज विभाग की सहमति के बिना ही जारी किया गया है। परिवार की देखभाल की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थीया पर ही है। अतः 600 किमी. दूर स्थानांतरण से अपीलार्थीया को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)